आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
16.6.16	(see below)	

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0– 113/2014–15

कार्यालय मंत्री, जिला भूदान यज्ञ कार्यालय – वादी

बनाम

अनमोल पासवान एवं ई0 – प्रतिवादी

आदेश

प्रस्तुत वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के पत्रांक 884, दिनांक 03.09.2014 द्वारा बिहार नामान्तरण अधिनियम 2011 की धारा 9 के तहत् निम्न भूमि का जमाबंदी रद्द करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित है।

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकबा	जमाबंदी सं0	भूदान पट्टा सं0
बैजनाथपुर	198	24	660	0.15	685 बनाम अमोल पासवान	686558
बैजनाथपुर	198	24	660	0.15	698 बनाम कुंती देवी	686570
बैजनाथपुर	198	24	660	0.15	699 बनाम लल्लू पासवान	686672
बैजनाथपुर	198	24	660	0.15	700 बनाम उपेन्द्र पासवान	686673
बैजनाथपुर	198	84	382	0.10	703 बनाम गणेशी पासवान	686676
बैजनाथपुर	198	84	382	0.10	711 बनाम सदानंद यादव	686678
बैजनाथपुर	198	84	382	0.10	713 बनाम जितेन्द्र यादव	686684
बैजनाथपुर	198	84	395	0.10	705 बनाम अशोक मंडल	686686
मुड़बल्ला	196	232	1327	5.00	जमाबंदी संधारण नहीं हुआ है।	25519
मुड़वल्ला	196	232	1327	5.00		25520
मुड़वल्ला	196	232	1329	3.00		25552

मुड़बल्ला	196	232	1329	2.00	175 बनाम नौशाद ई0	25516
मुड़बल्ला	196	232	1329	2.25	188 बनाम अहद ई0	25524
मुड़बल्ला	196	232	1329	3.00	174 बनाम बहाव ई0	25525
मुड़बल्ला	196	232	1329 1329	2.00 2.00	184 185 बनाम बहाव एवं आरीफ	35278
मुड़बल्ला	196	232	1329	2.00	561 बनाम सत्तु	35277
मुड़बल्ला	196	232	1327	3.25	190 बनाम जनकू ऋषिदेव	35276

उक्त पर्चाधारियों का भूदान पर्चा अध्यक्ष, बिहार भूदान यज्ञ कमिटी, गर्दनीवाग, पटना द्वारा अपने पत्रांक 13च/014--161, दिनांक 30.05.2014 एवं 13च/014--166, दिनांक 30.05.2014 द्वारा रद्द घोषित किया गया है, जिसका जमाबंदी रद्द करने हेतु अंचलाधिकारी, अररिया एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया की अनुशंसा सहित अभिलेख सं0 06/2014–15 एवं 07/2014--15 इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

इस न्यायालय द्वारा सभी संबंधित पक्षकारों के साथ–साथ भूदान मंत्री को सूचना निर्गत कर पक्ष प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया। पक्षकारगणों द्वारा उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। भूदान मंत्री द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पूर्व बंदोस्तधारी जिनका पट्टा रद्द घोषित किया गया है, प्रमाण–पत्र से रद्द भूमि का पुर्नवितरण दिनांक 30.06.2014 को कुल 15 भूमिहीन परिवारों के बीच वितरण की गई है। पूर्व भूदान किसानों के नाम से चल रही जमाबंदी को रद्द कर बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 18 एवं 19 के तहत् नये अदाताओं के नाम जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत करने का अनुरोध करते है।

इस संबंध में दखल–कब्जा के बिन्दु पर अंचलाधिकारी से इस कार्यालय के पत्रांक 2016/रा0, दिनांक 14.11.2014 स्मार पत्रांक 20/रा0(न्या0), दिनांक 05.02.2016 द्वारा स्थल जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। जिसके क्रम में अंचलाधिकारी, अररिया के पत्रांक 482, दिनांक 17.02.2016 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार पूर्व बंदोबस्तधारी के स्थान पर प्रस्तावित भूमि पर अन्य रैयतों का दखल–कब्जा प्रतिवेदित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि पूर्व आवंटित पर्चाधारियों (भूदान किसान) का जिनका भूदान पर्चा अध्यक्ष, बिहार भूदान यज्ञ कमिटी, पटना द्वारा रद्द किया गया है, का वर्णित

16.4.16

भूमि पर दखल–कब्जा नहीं पाया गया है।

विहार भूदान यज्ञ अधिनियम की धारा 21 में भूदान पर्चा को अवैध/रद्द करने की शक्ति राजस्व अधिकारी (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता) में निहित है।

अतएव वर्णित प्रावधान के आलोक में पूर्व भूदान किसानों के भूदान पर्चा को रद्द घोषित किये जाने हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया को भेजें। इस तरह प्राप्त भूमि भूदान यज्ञ कमिटि को पुनः उपलब्ध होगी, जिसका वितरण नियमानुसार भूमिहीनों के बीच की जा सकेगी।

लेखापित एवं संसोधित

ह0 — ह0 —

अपर समाहर्त्ता अपर समाहर्त्ता

अररिया अररिया

ज्ञापांक 75 (रा0) /रा0, अररिया, दिनांक 16/04/2016

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया को अंचल अररिया का अभिलेख 06/2014–15 एवं 07/2014–15 मूल के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिप : अंचल अधिकारी, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।

16.4.16

अपर समाहर्त्ता

अररिया

अधि० दी० प्रबंधक
झरीया